ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.19, No.3, July – Sept. ,2024/16

महिलाओं की प्रस्थिति एवं भूमिका परिवर्तन में संचार–साधनों की भूमिका''

डॉ0 पवन कुमार वर्मा, असि0प्रोफे0–समाजशास्त्र, आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी0जी0 कालेज, बभनान–गोण्डा

https:// 10.61410/had.v19i3.198

महिलाऐं चाहे ग्रामीण हों अथवा नगरीय उनके जीवन में परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम संचार–साधनों का रहा है। संचार व्यवस्था ने पूरी दुनिया को आज एक गाँव में दायरे में समेट दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में निवपास करने वाली महिलाऐं अब शिक्षित होकर जागरूक भी हो रही है। संचार–साधनों की पहुँच अब गावों में भी पूरी तरह से हो चुकी है। संचार–क्रान्ति ने जहाँ संदेश, सूचना एवं विचार पूरी दुनिया के साथ साझा करने का जो प्रयास किया है उसकी गति अब वैश्विक स्तर की है, संचार–साधनों ने महिलाओं को भी सशक्त करने का प्रयास किया है। महिलाओं की प्रस्थिति और भूमिका में जो परिवर्तन दिखाई पड़ता है, नीति निर्माण प्रक्रिया एवं समावेशी विकास में भी अब महिलाओं को भूमिका की दिशा तय करने में संचार–साधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संचार–साधन आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, महिलाओं की मनोवृत्ति एवं व्यवहार में संचार–साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है।

शब्द संकेत – समावेशी विकास, कुरीतियाँ, गृह साम्राज्ञी, अद्धागिनी, बहुलतावादी, अत्याचार, उत्पीड़न, संचार–साधन, दयनीय प्रस्थिति, जीवन शैली।

शोध–पत्र

भारतीय सामाजिक व्यवस्था की कठोरता के काण परम्पराओं, रूढ़ियों, पारिवारिक मूल्यों एवं आदर्शो ने भारतीय महिलाओं को भी अछूत एवं कमजोर बनाकर रखा था। अशिक्षा एवं निरक्षरता ने उन्हें विभिन्न अधिकारों से वंचित रखा, वह घर की चाहर दिवारी के भीतर जीवन–जीने के लिए विवश किया। स्वतंत्रता के पश्चात् ही महिलाओं के जीवन में भी परिवर्तन आया, वह जीवन में संघर्ष हेतु सचेत हुई। उत्तर वैदिक काल के पूर्व तक समाज में महिलाओं की प्रस्थिति उच्च बनी रही। वास्तव में मुगलकाल तक आते–आते महिलाओं का स्थिति अत्यन्त दयनीय अवस्था में पहुँच गई। बाल–विवाद, दहेज प्रथा, विधवा विवाह निषेध तथा सती–प्रथा जैसी कुरीतियों ने महिलाओं की प्रस्थिति को निम्न बना दिया।[1] धर्मशास्त्रों में महिलाओं को सर्वशक्तिमान के रूप में स्वीकार किया गया। विद्या, शील, यश एवं सम्पत्ति के प्रतीक के रूप मेंउनका मान था। उनहें गृहिणी या गृह साम्राज्ञी के रूप में प्रतिष्ठित कर परिवार के सदस्यों को उसके शासन में रहने हेतु निर्देशित भी किया गया। पुरुषों को बिना स्त्री के अपूर्ण माना गया।[2] स्त्रियों को 'शरीरार्द्ध' एवं अर्द्धांगिनी तथा 'श्री' और 'लक्ष्मी' के रूप में मनुष्य के जीवन को कृत्रार्थ या समृद्धि से प्रकाशित करने वाली भी कहा गया है।[3]

महिलाओं की प्रस्थिति के सन्दर्भ में यह स्पष्ट है कि सामान्यतयः परिवार पितृसत्तात्मक समाज एवं पुरुष प्रधान समाज तक सीमित न होकर बहुत ही व्यापक स्तर तक अस्तित्व रहा है। महिलाओं की स्थिति, प्रस्थिति, भूमिका के संदर्भ में जब हम परिज्ञान करते है तो यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि महिलाओं का स्थान समाज में कहाँ है, अपने चारों दिशाओं के पर्यावरण में वह अपने आप को कहाँ पाती हैं। लैगिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में उनकी प्रस्थिति कैसी है,

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत जैसे बहुभाषी, अहुधर्मी अर्थात बहुलतावादी परिदृश्य में अब महिलाओं की प्रस्थिति कैसी है, जबकि वैश्विक परिदृश्य भूमंडलीयकरण एवं उदारीकरण की दिशा में अग्रसर है।[4]

महिलाओं सशक्तिकरण का प्रयास स्वतंत्रता पूर्व से ही लगातर चल रहा है। स्वतंत्रता पश्चात् भारत के संविधान में समानता, समता एवं शिक्षा देश के प्रत्येक नागरिक चाहे वह पुरुष हो या महिला, उच्च जाति का हो अथवा निम्नजाति का सभी को अधिकार प्रदान किया गया है। इसका उल्लंघन दण्डनीय अपराध भी है। किन्तु पुरुष सत्तात्मक समाज में सशक्तिकरण की चर्चा आज भी की जा रही है। समान आचार संहिता पर भी निरन्तर चर्चा हो रही है। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि उनके अपने निजी कानून है जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार एवं बच्चों के अभिभावक के विषय पर महिलाओं के साथ निरन्तर भेदभाव होता रहा है। महिलाओं को नागरिक के रुप समान अधिकार प्रदान करने हेतु समान आचार–संहिता की माँग महिला आन्दोलन द्वारा 1937 से निरन्तर उठाई जा रही है। किन्तु राज्यों के पास कोई अधिकार नहीं है जैसा स्वतंत्रता के समय थी।[5]

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने व्यक्ति के मूल अधिकार के विषय में कहा है कि 'भाग 3 मे ंवर्णित अनुच्छेद 12–35 सर्वाधिक उहम है और उसमें अनुच्छेद 32–35 में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।'' जो प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन यापन के लिए राज्य के विरूद्ध व व्यक्ति के विरूद्ध अधिकार देता है।''

यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 13(2) उपबंधित करना है –''राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनायेगा जो मूलाधिकारों को कम करती हो।'' अर्थात यदि राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो या उसका अल्पीकरण हो तो वह विधि शून्य मानी जायेगी।'' संसद को मूलाधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। अर्थात् यह कहा जा सकता है कि संविधान में निहित मानवीय अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है।[6]

भारतीय समाज पुरुष सत्तात्मक समाज रहा है, जहाँ महिलाओं को दोयम दर्जे का स्थान प्राप्त था, प्रत्येक दृष्टि में महिलाऐ पुरुषों से निम्न मानी जाती रही है। वास्तव में महिलाओं के संदर्भ में मौलिक अधिकारों का हनन समाज का पुरूष वर्ग निरन्तर करता रहा है। संविधान चाहे जो कहता हो, किन्तु भारतीय महिलाऐं भारतीय परम्परा का पालन करते हुए कभी भी पुरुष समाज को कमजोर करने का प्रयास नहीं किया, वह मानसिक रूप से इस दिशा में परिवर्तन चाहती थीं। 21वीं सदी तक उनकी प्रस्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है।, दहेज हत्या, बलात्कार, जैसे क्रूरतम व्यवहार से वह आज भी तड़प रही है। जिसे हम सशक्तिकरण कैसे स्वीकार कर लें। शिक्षा का अधिकार तो उन्हें प्राप्त हो गया, पढ़ लिख कर वह समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपना परचम अवश्य लहरा पा रही हैं। किन्तु शारीरिक, मानसिक शोषण का शिकार निरन्तर हो रही है।

महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन राजनीतिक शक्ति प्रदान करते हुए 1992 में स्व0 राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण द्वारा किया जा चुका है, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को शक्तिशाली बनाने का एक ऐसा प्रयास रहा जिससे महिलाएं राजनीतिक रूप से तो सशकत हुई ही पारिवारिक प्रस्थिति में उनकी भूमिका उच्च हुई है। उनके जीवन शैली में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। राजनैतिक रूप से सशक्त होने के पश्चात् यह सामाजिक मंच पर भी सशक्त दृष्टिगत होने लगी, महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अत्याचार, शोषण एवं उत्पीड़न के विरूद्ध भी अ बवह आवाज बुलन्द कर रही हैं। महिलाओं की शिक्षा और

साक्षरता पर बल दिये जाने से ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा–दर में वृद्धि अवश्य हुई है। महिलाओं की साक्षरता दर ग्रामीण जीवन में मात्र 30.4 प्रतिशत ही है जबकि भारतीय परिदृश्य में पुरुषों की साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत एवं महिलाओं की साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत है।[7]

समाज के बुनियाददी ढाँचे में परिवर्तन के पीछे शिक्षा की भूमिका तो अवश्य माना जा सकता है, लेकिन आधुनिक भारत में वैश्विक परिदृश्य में क्रान्ति का सबसे बड़ा माध्यम संचार–माध्यामों का रहा है। जिसने भारतीय जीवन–रेखा ग्रामीण संरचना में सोंच एवं मानसिकता में बड़ा परिवर्तन किया। समाज को उपभोक्ता संस्कृति से जोड़कर पूँजीवादी व्यवस्था के साथ–साथ देश की महिलाओं को जोड़कर ऐसा बाजार तैयार किया है जो उनके हितों एवं स्वार्थों को भी दृष्टिगत रखा है।

संचार–साधनों की भूमिका महिला समाज को सकारात्मकता की ओर अग्रसर करना है। आधुनिक परिवार, समाज एवं कार्यक्षेत्र से ऐसा सामंजस्य स्थापित कर दिया है जिसे समाप्त करना आसान नहीं है। सामंतवादी सोंच वाले समाज से अलग नव–आर्धिक उपनिवेश वादी शोषण को मान्यता नहीं दे रही है। घर की चाहर दिवारी से बाहर की दुनिया में प्रवेशके पीछे की मानसिकता कहीं न कहीं संचार–माध्यमों की हो देन है। संचार–माध्यमों ने समाज, परिवार, व्यक्ति एवं महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। महिलाओं की परम्परागत घरेलू छवि तीव्रगति से परिवर्तित हो रही है। संचार–माध्यमों ने आधुनिक परिवेश में स्त्री समाज को एक नया स्वरूप ही प्रदान किया है। संचार–साधनों के प्रभाव में स्त्री विमर्श एवं महिला सशक्तिकरण को नया आयाम प्रस्तुत करते हुए एक आन्दोलन के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है। वास्तव में संचार–साधनों का कार्य मात्र बाजार व्यवस्था स्थापित करना ही नहीं बल्कि समाज में बढ़ रहे उत्पीड़न, अत्याचार, दमन एवं शोषण से महिलाओं की रक्षा करना रहा है। स्त्री और पुरुष के बीच संतुलन स्थापित करने में भी बड़ी भूमिका निभाई है।

भारतीय समाज की परम्परागत मूल्यों के ढाँचे में परिवर्तन व्यक्ति की आधुनिक सोंच का परिणाम है। आधुनिक प्रगतिशील समाज अब लैंगिक असमानता की रेखाऐ तो नहीं खींचती है किन्तु यह समाज में व्याप्त उच्च एवं मध्यम वर्ग की महिलाओं पर अवश्य लागू होता है। इनमें कहीं न कही शिक्षा का प्रभाव और स्वावलम्बन भी है, समय परिवर्तन के साथ आज की महिलाओं में परिवर्तन की क्षमता के साथ योग्यता भी है। इसलिए अब किसी भी नई व्यवस्था को अपनाने में तनिक भी संकोच नहीं है। वास्तव में आधुनिक संस्कृति का यह प्रगतिवादी स्वरूप अब मात्र उच्च वर्ग में ही नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था को संचार संस्कृति ने परिवर्तन की दिशा प्रदान की है, संचार–आन्दोलन ने समाज में संक्रमण की स्थिति अवश्य उत्पन्न की है। परम्परागत विश्वास, रूढ़ियाँ तो टूटे है किन्तु शिक्षा के नये आयाम भी समाज में उभरकर आये हैं। महिलाऐं घर से बाहर निकली इनकी चेतना संस्कृति के बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन स्थापित किया है। वास्तव में यह अपने ही देश की प्रवृत्तियों के प्रति एक नई सांस्कृतिक चेतना का अभ्यूदय था।

यह विदित हो कि जब हम बाह्य संस्कृति के संधान से जो संस्कृति निर्मित होती है वह अपसंस्कृति के पर्यावरण को शक्ति प्रदान करती है। भारतीय परिदृश्य में यह बात एकदम सत्य प्रतीत होता है कि बाह्य संस्कृति के प्रभाव में कहीं न कहीं महिलाओं के भीतर भी नये शक्ति प्रवाह को तीव्रगति प्रदान की है। जिससे समाज एवं परिवार दोनों में ही महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन किया है। आज महिलाऐं अपनी भूमिका का निवर्हन और बेहतर तरीके से कर पा रही है।

सन्दर्भ सूची –

1. सिंह, वी0एन0 एवं सिंह, जनमेजय; आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण, रावत पल्किकेशन्स, जयपुर पृ0–19
2. एतोवानेव पुरुषां यज्जायाऽऽत्मा प्रजेति ह।
   विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृतांगना।।
   मनुस्मृति – 9.45
3. प्रजनार्थ महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः।
   स्त्रियः श्रियश्र गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्रवन।।।
   मनुस्मृति – 9.26
4. सिंह, वी0एन0 एवं सिंह, जनमेजय; आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण, रावत पल्किकेशन्स, जयपुर पृ0–20
5. आर्य साधना एवं अन्य (सं0) नारीवादी राजनीति, संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ0–18
6. सिंह, वी0एन0 एवं सिंह, जनमेजय; आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण, रावत पल्किकेशन्स, जयपुर पृ0–89
7. भारत–2009 पृ0–17